अज अदालत ....

श्री परशुराम शर्मा बनाम मोहम्मद आरिफ

.... नं. 1039 .... सन् 2016 ....

किस्म मुकदमा 136 L.R. Act

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.5.18	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत केम्प बुधावान पर पेश हुई। अप्रार्थी नम्बर 3 द्वारा जवाब एवं मौका रिपोर्ट पेश की गई। शा० का० हो। प्रार्थी एवं अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 उपस्थित है। उपस्थित पक्षकारान् को सुना गया। अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 द्वारा कथन किये कि उनके द्वारा मौके के अनुसार कुरम्ली हेतु जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है, इस कारण मौके के अनुसार कुरम्ली कर दी जावे। सरकार की रिपोर्ट के अनुसार कुरम्ली कर दी जावे तो उन्हें आपत्ति नहीं है। पक्षकारान् को सुना जाकर पत्रावली का आद्योपान्त गहन अवलोकन एवं मनन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित कथन, वर्णित तथ्य, अप्रार्थीगण 1 व 2 के जवाब, तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं प्रकरण में प्रस्तुत किये	

(P.T.O)

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	गये दस्तावेजात आदि पर सम्यक विचार किया गया। पक्षकारान को सुना गया। रिपोर्ट देखी गई। सहमति की हद तक प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में ग्राम फतेहपुर तहसील रामगंजमण्डी की भूमि निम्न प्रकार खाता दर्ज हो। (1) मो० आरिफ पुत्र मो० युसुफ जाति मुसलमान सा० खैराबाद ख० नं० 519/2 रकबा 0.16 हे० (2) परशुराम शर्मा S/O रामधन शर्मा जाति ब्राह्मण सा० अजमेर ख० नं० 519/4 रकबा 0.16 हे० (3) मुमताज बेगम W/O मो० आरिफ जाति मुसलमान सा० खैराबाद ख० नं० 519/3 रकबा 0.16 हे० (4) सिवाय चक सरकार ख० नं० $\frac{520/2}{0.16 हे.}$, $\frac{520/3}{0.16}$ $\frac{520/4}{0.16}$ किता 3 रकबा 0.48 हे० भूमि की जो किस्म खातेदारान के नाम में दर्ज थी वही रहेगी। रिकार्ड में अमल दरामद हो। निर्णय आज दि० 14.5.18 को जेरयू बुधवार पर सुनाया। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

Scanned by CamScanner